(5)

प्रेषक,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0,
बी- 912, सेक्टर "सी" महानगर लखनऊ ।

सेवा में,

§1§ समस्त अपर जिला विकास अधिकारी§स0क0§/
जिला प्रबन्धक,

§2§ समस्त सहायक प्रबन्धक,
उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0,
उत्तर प्रदेश ।

पत्रांक 5784 / वसूली अनु0/96-97 दिनांक: 20-12- 1996

महोदय,

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/ जन जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, नई दिल्ली के सहयोग से इस निगम द्वारा संचालित योजनाओं में ऋण लेकर वितरण किया जाता है । लिये गये ऋण की अदायगी एन0एस0एफ0डी0सी0 से किये गये समझौते के आधार पर त्रैमासिक निर्धारित किस्तों में ब्याज सहित की जाती है। पूर्व अनुभव में यह पाया गया कि संबंधित लाभार्थी से वसूली अध्यावधिक न होने से इस निगम द्वारा एन. एस. एफ. डी. सी. को दिये जाने वाले भुगतान में कठिनाई होती है । लाभार्थी से ससमय किस्तों की वसूली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वसूली प्रक्रिया में संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि इन योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थी से योजना की स्वीकृति के समय ही निर्धारित कुल किस्तों की ब्याज सहित धनराशि की अग्रिम पोस्ट डेटेड चेकों को निगम के पक्ष में प्राप्त कर लिया जाय ताकि प्राप्त की गयी अग्रिम पोस्ट डेटेड चेकों को किस्तों के देय होने पर विभाग द्वारा बैंक में प्रस्तुत करने पर किस्त की धनराशि निगम के खाते में प्राप्त हो जाय। इस प्रक्रिया को तुरन्त लागू किया जाता है तथा प्रक्रिया अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही एवं लेखांकन तथा रख-रखाव के निम्न बिन्दु दिये जा रहे हैं:-

§1§ एन. एस. एफ. डी. सी. के सहयोग से निगमद्वारा संचालित योजना अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने वाले प्रत्येक ऋण गृहीता के लिए यह आवश्यक होगा कि वह ऋण प्राप्त करने के पूर्व अपना एक बैंक खाता खोलेगा । खाता खोलने की सूचना अपने जिले के जिला प्रबन्धक/सहायक प्रबन्धक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को देगा

§2§ निगम से प्राप्त होने वाले ऋण के सापेक्ष्य योजना के प्राविधानों के अन्तर्गत कुल वसूली समय में ऋण एवं ब्याज की धनराशि की मासिक अदायगी का एक रिकवरी शिड्यूल्ड निगम द्वारा ऋण गृहीता को दिया जायेगा । जिसके आधार पर प्रत्येक माह मूलधन एवं ब्याज की देय होने वाली किस्तों

के समतुल्य पोस्ट डेटेड चेकें बैंक से तैयार कराकर ऋण गृहीता ऋण वितरण से पूर्व निगम को उपलब्ध करायेगा । ऋण गृहीता द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले 60 पोस्ट डेटेड अग्रिम चेकों में रिकवरी शिड्यूल के अनुसार प्रत्येक माह के लिए अगणित मूलधन एवं ब्याज की अलग-अलग धनराशि प्रत्येक चेक पर अंकित होगी ।

§3§ ऋण गृहीता की योजनान्तर्गत प्राप्त परिसम्पत्ति/ऋण से उत्पादित लाभ की धनराशि ऋण गृहीता द्वारा निगम को सूचित किये गये बैंक खाते में नियमित रूप से जमा किया जायेगा । ऋण गृहीता का दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक चेक के आहरण की तिथि के पूर्व गृहीता के बैंक खाते में समुचित धनराशि उपलब्ध रहे । लाभार्थी मासिक किस्त के अतिरिक्त त्रैमासिक अदायगी भी कर सकेगा किन्तु यदि त्रैमासिक अदायगी भी सुनिश्चित नहीं की जाती है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही जैसा कि पैरा-6 में उल्लिखित है, की जायेगी ।

§4§ जिला प्रबन्धक/ सहायक प्रबन्धक§ संबंधित जनपद§ का उत्तरदायित्व होगा कि उपरोक्तानुसार प्रत्येक ऋण गृहीता से प्राप्त की गयी 60 पोस्ट डेटेड चेकों का रख-रखाव नीचे दिये जा रहे प्रारूप पर एक अलग से रजिस्टर में रखा जायेगा तथा ऋण गृहीताओं से प्राप्त अग्रिम चेकों को कैशचेस्ट में रखेंगें । रजिस्टर तथा चेक निगम के सहायक लेखाकार के उत्तरदायित्व में रखा जायेगा ।

ऋण गृहीता का नाम

पिता का नाम

पता

बैंक का नाम

बैक खाता नम्बर

किस्त की धनराशि

चेक सं०	अनुविनि ऋण मूलधन	अनुविनि ऋण ब्याज	निगम ऋण मूलधन	निगम ऋण ब्याज	योग	अदायगी के समय बैंक में प्रस्तुत किये जाने का विवरण: दिनांक	इनकैश की तिथि	यदि अनादरित की गयी तो कारण	निगम के बैंक खाते में धन आने की तिथि	अनादरित होने की दशा में ऋण गृहीता के विरूद्ध की गयी कार्यवाही
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

..3.

§5§ प्राप्त पोस्ट डेटेड चेकें तथा रजिस्टर के रख-रखाव का दायित्व जिला कार्यालय में नियुक्त सहायक लेखाकार निगम का होगा । कैशबुक की तरह उक्त पंजिका के अंकन को जिला प्रबन्धक/ सहायक प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा तथा प्रत्येक माह ऋण गृहीताओं कर देय किस्तों के आधार पर पोस्ट डेटेड चेकों को सहायक लेखाकार के माध्यम से बैंक खाते में आहरण हेतु जमा कराया जायेगा तथा प्रत्येक ऋण गृहीता के बैंक से भुगतान प्राप्त होकर निगम के बैंक खाते में जमा हो गया या नहीं, को समीक्षा जिला प्रबन्धक करेंगें तथा यथा वांछित कार्यवाही समय से सुनिश्चित करेंगें ।

§6§ भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत की गयी चेक यदि बैंक द्वारा अनादरित की जाती है तो उसके कारणके आधार पर ऋण गृहीता को ऋणी के बैंक स्तर से तथा स्वंय जिला प्रबन्धक अपने स्तर से भी चेक अनादरित होने के कारण को उल्लिखित करते हुए एक नोटिस जारी करायेगें/ करेगें । इस नोटिस में यह भी उल्लिखित किया जायेगा कि यदि ऋण गृहीता अमुक समय से सम्बन्धित धनराशि अपने बैंक खाता में अथवा सीधे निगम को अदायगी के रूप में उपलब्ध नहीं करता है तो उसके विरूद्ध निगोसियबिल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट की धारा 138 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी । जिसमें ऋण गृहीता को अनादरित चेक में उल्लिखित धनराशि की दुगुनी धनराशि का अर्थ दण्ड अथवा एक वर्ष तक की कैद की सजा अथवा दोनों दण्डों में न्यायालय द्वारा दण्डित किया जा सकता है । यदि 15 दिन में नोटिस पर कार्यवाही नहीं की जाती है तो नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी ।

भवदीय

§नवतेज सिंह§
प्रबन्ध निदेशक